



2026:AHC:161470

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या 13596 वर्ष 2026

ममता और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

- 1- याचीगण के विद्वान एवं शिष्ट विद्वान शिष्टमंडल को एवं सुना पत्रावली का परिशीलन किया गया।
- 2- याचीगण की ओर से इस याचिका के माध्यम से, याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें प्रत्युत्तरदातागण को पति और पत्नी के रूप में याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए एवं संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
- 3- याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क है और उन्होंने अपनी मर्जी एवं सहमति से बिना किसी दबाव के एक-दूसरे के साथ दिनांक 06.03.2026 को विवाह कर लिया है एवं दोनों पति-पत्नी के रूप में दांपत्य जीवन व्यतीत कर रह रहे हैं, याचीगण ने अपने उम्र के समर्थन में अपने-अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र/आधार कार्ड की प्रतिलिपि, याचिका के साथ संलग्न किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों याचीगण बालिग है, याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त हलफनामों द्वारा समर्थित हैं। याचीगण ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन भी कर दिया है, जो याचिका के साथ संलग्न है। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया गया है कि निजी प्रत्युत्तरदाता और परिवार के अन्य सदस्य याचीगण द्वारा किए गए इस विवाह से नाराज हो गए हैं और उनके द्वारा याचीगण को धमकी दी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें गंभीर उपहित अथवा खत्म कर सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।
- 4- विद्वान सी.एस.सी. द्वारा उपर्युक्त तथ्यों से सहमत है तथा उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि पूर्व में भी याचीगण को विवाह पंजीकरण संपन्न कराने हेतु समय प्रदान किया जा चुका है।
- 5- प्रस्तावित आदेश पारित किये जाने के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।
- 6- माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कानून तय किया है कि जहाँ एक लड़का और लड़की बालिग है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक साथ रह रहे हैं तो उनके माता पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में **ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक**,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; और भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396, जिनका सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लगातार अनुसरण किया गया है, साथ ही इस न्यायालय द्वारा दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 में भी। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान देवी (उपरोक्त) में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, यह तथ्य बना रहता है कि वह वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु की है। चूंकि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से बालिग है, इसलिए उसके साथ रहने वाले व्यक्ति के चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, न ही उसके रहने के स्थान पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी इस मामले में याचिकाकर्ता की राय या पसंद को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।”

7- इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय का मत है कि याचीगण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन-निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (प्रत्युत्तरदाता सं० 2) से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे और उक्त प्रत्युत्तरदाता सं० 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

8- निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या फर्जी हैं तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

9- मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 सीमा (श्रीमती) बनाम अश्विनी कुमार, के अनुसार शादी का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण का यह दायित्व है कि दो महीने के अंदर अपनी शादी का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। यदि याचीगण उल्लेखित समय-सीमा के अंदर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो इस आदेश के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई राय नहीं व्यक्त करता है।

11- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। मूल्य के बारे में कोई आदेश नहीं पारित किया जा रहा है।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

3 अगस्त, 2026

पवन कुमार